HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 43/2026

1. M/s Influence Enterprises Pvt. Ltd., Office At Third Floor, Shakun Emporia, C-23-A, Ashok Marg, C Scheme, Jaipur, Rajasthan, Through Its Director.
2. Naresh Kumar Vardhichand Ji Bamboli, Director, M/s. Influence Enterprises Pvt. Ltd. Office At Third Floor, Shakun Emporia, C-23-A, Ashok Marg, C Scheme, Jaipur, Rajasthan, R/o 10/33, Beach Road Kala Kshetra Colony, Besant Nagar Chennai-90. Presently R/o 1St Block, 3Rd Floor, Art Apartment, 28, Kothari Road, Nungambakkam, Chennai, Tamil Nadu-600034.
3. Varsha Jain, Director, M/s. Influence Enterprises Pvt. Ltd., Office At Third Floor, Shakun Emporia, C-23-A, Ashok Marg, C Scheme, Jaipur, Rajasthan, R/o 10/33, Beach Road Kala Kshetra Colony, Besant Nagar Chennai-90. Presently R/o 1St Block, 3Rd Floor, Art Apartment, 28, Kothari Road, Nungambakkam, Chennai, Tamil Nadu-600034.

----Appellants

Versus

M/s Chandra Trio Services Pvt. Ltd., Registered Office 28 Indira Colony, Bani Park, Jaipur, Through Authorized Representative Mukesh Jain S/o Ratan Chand Jain.

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Naman Maheshwari, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Saurabh Bhandari, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

29/04/2026

आई.ए. 1/26 पर सुना गया, अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी की ओर से एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को चुनौती देते हुए स्थगन चाहा गया, जिस पर एकलपीठ सिविल विविध स्थगन आवेदन संख्या–58/2026 पर निम्नानुसार आदेश पारित किया गया हैः–

"स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि वाद के नोटिस सम्यक रूप से कभी भी अपीलार्थी पर तामील नहीं हुए हैं तथा उनका आवेदन अंतर्गत धारा 9 नियम 13 सीपीसी भी तथ्यों व विधि के विपरीत जाकर खारिज किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी का निवेदन है कि व्यावसायिक संव्यवहार के तहत अपीलार्थी के विरूद्ध राशि बकाया थी। वर्तमान में ब्याज सहित करीब 45 लाख रूपये की राशि अदा करनी शेष है। अपीलार्थी द्वारा आज तक कोई राशि अदा नहीं की गयी है।

सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी विचारण न्यायालय में 15 लाख रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रत्यर्थी के नाम बनाकर प्रस्तुत कर दे तो शेष राशि की वसूली अग्रिम आदेश तक स्थगित रहेगी। अपील में असफल रहने की स्थिति में प्रत्यर्थी प्राप्तशुदा राशि 08 प्रतिशत ब्याज सहित अपीलार्थी को अदा करने के संबंध में यदि अंडरटेकिंग विचारण न्यायालय में पेश कर दे तो उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट बाद रसीद प्रत्यर्थी को सुपुर्द कर दिया जावे।

स्थगन प्रार्थना पत्र उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।"

वर्तमान आवेदन आई.ए. 1/26 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आदेशित पंद्रह लाख रुपये की राशि अत्यधिक व अनुचित है, उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय V. K. Industries & Ors. Vs. M. P. Electricity Board, Rampur, Jabalpur [AIR 2002 SC 1151] प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त करते समय डिक्रीटल राशि की 1/4 राशि जमा कराने का आदेश दिया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी का निवेदन है कि वर्तमान मामले में दोनों पक्षों को सुनकर व प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए दिनांक 19.02.2026 का आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णतः उचित है। उनका यह भी निवेदन है कि अभी तक एकपक्षीय निर्णय व डिक्री अपास्त नहीं हुई है तथा आदेशित राशि डिक्रीटल राशि की अधिकतम 1/3 राशि है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय V. K. Industries & Ors. Vs. M. P. Electricity Board, Rampur, Jabalpur (पूर्वोक्त) में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त कर 1/4 राशि जमा कराने का आदेश दिया गया था, इस निर्णय में कोई स्वर्णिम सर्वमान्य सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हुआ है, बल्कि प्रकरण विशेष की परिस्थितियों के आधार पर विवेकाधिकार का प्रयोग किया गया है।

वर्तमान मामले में जो आदेश पारित किया गया है, वह पूर्णतः उचित है, इस पंद्रह लाख रुपये की राशि को कम किये जाने का कोई उचित आधार नहीं बताया गया है। यह प्रार्थना पत्र पूर्णतः निराधार व प्रकरण में विलम्ब कारित करने वाला है और ऐसे प्रार्थना पत्रों से न्यायालय का समय, जो सद्भाविक पक्षकारों के लिए है, का अपव्यय होता है।

परिणामतः **आई.ए. 1/26** 10,000/–रुपये की कोस्ट पर खारिज किया जाता है। यह कोस्ट राशि आज से 15 दिवस में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करानी होगी अन्यथा अपीलार्थी के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा और उस अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /01